



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 796]
No. 796]नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2012/वैशाख 11, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2012/VAISAKHA 11, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 956(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए पुडुचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | सचिव,
पर्यावरण विभाग,
पुडुचेरी सरकार,
पुडुचेरी | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक,
मत्स्य विभाग,
पुडुचेरी सरकार,
पुडुचेरी | सदस्य |
| 3. | चीफ टाउन प्लानर,
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग,
पुडुचेरी सरकार,
पुडुचेरी | सदस्य |
| 4. | प्रो.आर. रमेश,
निदेशक, राष्ट्रीय अवलंबनीय तटीय प्रबंधन केन्द्र,
चैन्नई - 25 | सदस्य |

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | डा. एम.वी. रमण मूर्ति,
वैज्ञानिक 'एफ' और मुख्य अपतट ढांचा प्रभाग,
राष्ट्रीय समुद्र तकनीकी संस्थान,
चैन्नई | सदस्य |
| 6. | तिरु जरगेन पुज,
निदेशक, पलमीरा, पारिस्थितिकीय भूउपयोग केन्द्र,
जल प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास,
आरोविल, तमिलनाडु | सदस्य |
| 7. | सदस्य सचिव,
पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति
पुडुचेरी | सदस्य सचिव |

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :-

(i) पुडुचेरी राज्य सरकार से तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों तथा तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करना और तटीय विनियमन की दृष्टि से भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ii) (क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों ;

(ख) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनरावलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनरावलोकन के लिए पूर्वोक्त राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देशित करना ;

परंतु उपपैराओं के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों को स्वतः स्फूर्त आधार पर अथवा किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी ;

(iii) उप पैरा (i) और (ii) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न होने की दशा में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना ;

(iv) उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत मुद्दों से संबंधित तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ;

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों जो उसे, यथास्थिति, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं से बरतेगा ।

4. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा ।

5. प्राधिकरण, संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन या तटीय जनसंख्या संरक्षण के उन्नयन के लिए परियोजनाओं का समन्वय करेगा ।

6. प्राधिकरण, क्षरण या अपचय के लिए अधिक सहजमेद्य तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेगा तथा उसके कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण का प्रबंध करेगा ।

7. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों की पहचान करेगा और और उसके लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन जोन योजनाएं तैयार करेगा ।
8. प्राधिकरण, पूर्वोक्त पैरा 4 और पैरा 5 के अधीन तैयार योजनाएं और उनमें परिवर्तनों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को जांच और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा ।
9. प्राधिकरण, अनुमोदित पुडुचेरी तटीय प्रबंधन जोन योजना और भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित सभी विशिष्ट शर्तों के अनुपालन का सुनिश्चय करेगा ।
10. प्राधिकरण, अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा ।
11. प्राधिकरण की बैठकों की गणपूर्ति प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी और गणपूर्ति के न होने की दशा में बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित कर दी जाएगी और पुनः बुलाई जाएगी ।
12. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के तटीय क्षेत्रों के तटीय विनियमन जोन मानचित्र तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण और पर्यावरण और वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।
13. तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह एक समर्पित वेबसाइट का सृजन करे और उस पर कार्यसूची, कार्यवृत्त, किए गए विनिश्चय, अनापत्ति पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश सम्मिलित हैं तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी डालेगा ।
14. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।
15. प्राधिकरण का मुख्यालय पुडुचेरी में स्थित होगा ।
16. इस प्रकार प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा ।

[फा. सं. जे-17011/13/1999-आईए-III]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 1st May, 2012

S.O. 956(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Puducherry Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely : -

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| [1] | Secretary,
Department of Environment,
Government of Puducherry,
Puducherry | -Chairman; |
| [2] | Director,
Department of Fisheries
Government of Puducherry,
Puducherry | -Member; |
| [3] | Chief Town Planner,
Town and Country Planning Department
Government of Puducherry,
Puducherry | -Member; |
| [4] | Prof. R. Ramesh,
Director, National Center for Sustainable
Coastal Management,
Chennai-25 | -Member; |
| [5] | DR.M.V. Ramana Murthy,
Scientist 'F' and Head, Offshore Structure Division,
National Institute of Ocean Technology,
Chennai | -Member; |
| [6] | Thiru Jurgen Putz,
Director, Palmyra, Centre for Ecological Landuse,
Water Management and Rural Development,
Auroville, Tamil Nadu | -Member; |
| [7] | Member Secretary,
Puducherry Pollution Control Committee
Puducherry | -Member-Secretary. |

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union territory of Puducherry, namely:-

- (i) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the

Puducherry State Government and making specific recommendations from Coastal Regulation point of view in accordance with the provisions of the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011.

- (ii) (a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority constituted by the Central Government;
- (b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the aforesaid National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of sub-paragraphs be taken up by the authority, *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or an representative body or an organisation;

- (iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (i) and (ii);

1543 91/12- 2

- (iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (i) and (ii).
3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union territory of Puducherry, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.
 4. The Authority shall identify ecologically sensitive areas in the Coastal Regulation Zone and formulate area-specific management plans for such identified areas.
 5. Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection, etc.
 6. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same.
 7. The Authority shall identify economically important stretches in the Coastal Regulation Zone and prepare integrated Coastal Zone Management Plans for the same.
 8. The Authority shall submit the plans prepared by it under paragraphs 4, and 5 above and modifications thereof to the National Coastal Zone Management Authority for examination and its approval.
 9. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan

of Puducherry and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011.

10. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
11. The quorum of the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of the Members of the Authority and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.
12. The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
13. It shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website to maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and cases pending in the courts including the Orders of the Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union territory of Puducherry.

14. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.
15. The Authority shall have its headquarters at Puducherry.
16. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. J-17011/13/1999-IA-III]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.